**UPGK010060712026**

## न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–1, गोरखपुर।

### अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2709/2026

सलाउद्दीन अली पुत्र ग्यासुद्दीन, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम–अहिरौली, थाना कोतवाली, जिला–गोपालगंज (बिहार)।

.....**आवेदक/अभियुक्त**

**बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य

.....**विपक्षी**

मु०अ०सं०– 296/2023
अंतर्गत धारा– 307, 504, 506, 427 भा0दं0सं0,
धारा– 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम
व धारा– 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
थाना– सिकरीगंज, जनपद–गोरखपुर।

**दिनांक 29.07.2026**

**1.** आवेदक/अभियुक्त **सलाउद्दीन अली** की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र स्वयं द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

**2.** अभियोजन कथानक मामले की फर्द बरामदगी पर आधारित है, जिसके अनुसार दिनांक 11.09.2023 को घनघटा, जनपद संतकबीरनगर की तरफ से तेजी से आते हुए एक पिकप को रोकने का प्रयत्न करने पर उक्त वाहन में बैठे हुए व्यक्तियों द्वारा मामले के वादी एवं हमराहियान पुलिसकर्मियों पर ईंट पत्थर चलाते हुए पिकप का ड्राईवर जान मारने की नियत से उन पर गाडी चढाने का प्रयत्न किया एवं उक्त पिकप गाडी खजनी की तरफ तेजी से भागी तब वादी हमराह सरकारी वाहन से रात्रि गश्त में लगे आरक्षी मोटरसाईकिल से उक्त पिकप का पीछा करते हुए चौकी दुधरा बाजार पर नियुक्त रात्रि गश्त में लगे कर्मचारियों को उक्त वाहन की सूचना दे उसे रोकने हेतु कहा गया, कर्मचारियों द्वारा लगायी गयी बैरिकेडिंग को भी तोड़ते हुए तेजी से कर्मचारियों को जान से मारने की नियत से उनके उपर चढाने का प्रयास करते हुए उक्त वाहन वहां से भाग गयी। उक्त वाहन का लगभग डेढ घंटे पीछा किया गया एवं अंत में एक मोड पर सडक के नीचे वाहन चालक द्वारा उक्त वाहन को मौके पर छोडकर वाहन सवार अन्य लोग भाग गये। उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर–UP 57 AT 9604 के स्वामी का पता ई–चालान एप्प के माध्यम से किया गया। वाहन के मुआइना पर वाहन को अधिक से अधिक पशुओं को क्रूरतापूर्वक बांधकर उनके परिवहन हेतु बनाया जाना पाया गया। उक्त

वाहन से अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त कुल 09 राशि गोवंशी पशु दयनीय हालत में बरामद किये गये।

**3.** आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संक्षेप में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी ने कोई जुर्म नहीं किया है मात्र गलत तथ्यों के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में नामित किया गया है जिसमें प्रार्थी का लेस मात्र भी लेना–देना नहीं है। प्रार्थी गाँव के सम्भ्रांत परिवार का व्यक्ति है किसी से कोई वास्ता सरोकार नहीं रहता है। गाँव के राजनैतिक पार्टीबन्दी के चलते प्रार्थी को विरोधियो के साथ मिलकर वादी मुकदमा द्वारा अज्ञान्तावश उपरोक्त मुकदमे में सहअभियुक्त के बयान के आधार पर प्रार्थी को सम्भवतः नामित कर पुलिस द्वारा तलास किया जा रहा है जिसमें नामित किया गया है। वादी मुकदमा को उपरोक्त वर्णित धाराओं के आधार पर कोई चोट नहीं लगा है मात्र पुलिस से मिलकर अधिकारो का दुरूपयोग करते हुये चढ़ा बढ़ा कर प्रार्थना पत्र देकर नामित कराया गया है, और प्रार्थी को जानबुझकर गोरखपुर में अपना धन्धा न कर पावे के उद्देश्य से नामित करने हेतु नाम प्रकाश में लाकर प्रताड़ित किया जा रहा है।प्रार्थी को थाना सिकरीगंज की पुलिस गिरफ्तार कर अकारण जेल भेजना चाहती है जबकि प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

**4.** अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

**5.** मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

**6.** प्रश्नगत मामले में अभियुक्त पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रतिबंधित गोवंशीय पशुओं को क्रूरतापूर्वक पिकप में लादकर ले जाने एवं वादी मुकदमा तथा उसके हमराहियान द्वारा रोकने पर उनकी हत्या का प्रयास किया जाना आक्षेपित है। दौरान विवेचना सहअभियुक्त जुमराती के बयान के आधार पर आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त के विरूद्ध आक्षेपित अपराध गंभीर प्रकृति का है एवं 10 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.09.2023 को पंजीकृत की गयी है तथा आवेदक/अभियुक्त के फरार होने तथा विवेचना में सहयोग न किये जाने के कारण लगभग 02 वर्ष 10 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी मामले की विवेचना पूर्ण नहीं की जा सकी है। अभियुक्त इस स्तर पर न्यायालय को यह समाधान कराने में असफल रहा है कि वह पूर्णतः निर्दोष है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम प्रदीप शर्मा(2014)2 एस.सी.सी. 171** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया है कि **धारा–438** के अधीन न्यायालय के द्वारा शक्तियों का प्रयोग प्रकृति में असाधारण है। इसका प्रयोग केवल अपवादजनक मामलों में किया जाना है।

> *"जहां यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति को मिथ्या रूप से फंसाया जा सकता है अथवा जहां यह धारित करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि किसी अपराध के अभियुक्त का अपनी अन्यथा अपनी स्वतंत्रता का दुरूपयोग करने की सम्भावना नहीं है।"*

इसी क्रम में **पी. चिदम्बरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2020(1) सी.सी.एस.सी 2 (एस.सी)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में यह अवधारित किया है कि अग्रिम जमानत की स्वीकृति की ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय थोड़ा सावधान रहे। उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

> *"अग्रिम जमानत केवल अपवादित मामले में ही प्रदान की जा सकती है, जहां आरोप आधारहीन हो। यह न्यायालय की असाधारण शक्ति है, जिसका उपयोग समुचित मामले में यदा–कदा की जानी चाहिए।"*

अतः उपरोक्त प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं के आलोक में तथा प्रश्नगत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति को विचार में लेते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने का समुचित आधार पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

**आदेश**

आवेदक/अभियुक्त सलाउद्दीन अली द्वारा मु०अ०सं०– 296/2023, अंतर्गत धारा– 307, 504, 506, 427 भा0दं0सं0, धारा– 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा– 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर के प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

**दिनांक–29.07.2026**

**(प्रतीक्षा नागर)**
**(J.O. Code– UP02399)**
**अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–1,**
**गोरखपुर।**

Digitally signed by PRATIKSHA NAGAR
Date: 2026.07.29 15:47:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court